

(1)	(2)	(3)
2.	जिला बालोद अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे	1. बालोद 2. राजनांदगांव 3. दुर्ग 4. धमतरी 5. कांकेर
3.	जिला कोरबा अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरबा 2. जांजगीर-चांपा 3. बिलासपुर 4. जशपुर
4.	जिला कोरिया अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरिया 2. बिलासपुर
5.	जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. रायगढ़ 2. जशपुर 3. महासमुन्द
6.	जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्थित मुख्य खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टे	1. बलौदाबाजार 2. रायपुर
2.	छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 6 (1) (ग) के अनुसार उपरोक्त पैरा 1 में उल्लेखित खदान व खदान समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले के भीतर होगा.	
3.	यह आदेश 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016.

क्रमांक एफ 7-47/2015/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित तालिका-एक के कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के सामने उक्त तालिका के तत्स्थानी कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन करती है, अर्थात :-

तालिका-एक

क्र. (1)	जिला (2)	जिला खनिज संस्थान न्यास का नाम (3)
1.	रायपुर	रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार जिला खनिज संस्थान न्यास
3.	गरियाबंद	गरियाबंद जिला खनिज संस्थान न्यास

(1)	(2)	(3)
4.	महासमुंद	महासमुंद जिला खनिज संस्थान न्यास
5.	धमतरी	धमतरी जिला खनिज संस्थान न्यास
6.	दुर्ग	दुर्ग जिला खनिज संस्थान न्यास
7.	बालोद	बालोद जिला खनिज संस्थान न्यास
8.	बेमेतरा	बेमेतरा जिला खनिज संस्थान न्यास
9.	राजनांदगांव	राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास
10.	कबीरधाम	कबीरधाम जिला खनिज संस्थान न्यास
11.	बस्तर	बस्तर जिला खनिज संस्थान न्यास
12.	कोंडागांव	कोंडागांव जिला खनिज संस्थान न्यास
13.	नारायणपुर	नारायणपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
14.	उत्तर बस्तर कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर जिला खनिज संस्थान न्यास
15.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास
16.	सुकमा	सुकमा जिला खनिज संस्थान न्यास
17.	बीजापुर	बीजापुर जिला खनिज संस्थान न्यास
18.	बिलासपुर	बिलासपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
19.	मुंगेली	मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास
20.	कोरबा	कोरबा जिला खनिज संस्थान न्यास
21.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा जिला खनिज संस्थान न्यास
22.	रायगढ़	रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास
23.	जशपुर	जशपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
24.	सरगुजा	सरगुजा जिला खनिज संस्थान न्यास
25.	बलरामपुर	बलरामपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
26.	सूरजपुर	सूरजपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
27.	कोरिया	कोरिया जिला खनिज संस्थान न्यास

2. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 10 के अनुसार तालिका-एक के कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यासों में, निम्नलिखित न्यासियों की नियुक्ति करती है, अर्थात् :-

#### तालिका-दो

स. क्र. (1)	न्यासी के पद के नाम/विवरण (2)	न्यास में पदनाम (3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	तीन जनप्रतिनिधि (व्यवस्थापक द्वारा नामांकित)	सदस्य
3.	जिले के खनिज रियायतधारियों में से मात्र तीन प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
4.	प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के कोई दो सरपंच (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
6.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
7.	वन मंडलाधिकारी	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक पंचायत	पदेन सदस्य
10.	अधीक्षण यंत्रों/कार्यपालन यंत्रों, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
12.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	उप संचालक कृषि	पदेन सदस्य

(1)	(2)	(3)
15.	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	पदेन सदस्य
16.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
17.	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
18.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
19.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
20.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
21.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

3. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2(1) (ठ) सहपठित नियम 14 के अनुसार तालिका-एक के कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यासों के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति गठित करती है, अर्थात् :—

### तालिका-तीन

स. क्र.	पद के नाम	न्यास में पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4.	वन मण्डलाधिकारी	पदेन सदस्य
5.	उप संचालक, पंचायत	पदेन सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड.	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक कृषि/उद्यानिकी	पदेन सदस्य
10.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
11.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
12.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
15.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
16.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
17.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

4. यह अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-47/2015/बारह.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इफ्फत आरा, उप-सचिव.



Naya Raipur, the 2nd January 2016

No. F 7-47/2015/XII.—In exercise of the powers conferred by Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) read with rule 3 of the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, the State Government, hereby, constitutes the District Mineral Foundation Trust mentioned in column (3) of TABLE-I for the corresponding districts mentioned in column (2) of the said table, namely :—

TABLE-I

S. No. (1)	District (2)	Name of the District Mineral Foundation Trust (3)
1.	Raipur	Raipur District Mineral Foundation Trust
2.	Baloda Bazar	Baloda Bazar District Mineral Foundation Trust
3.	Gariaband	Gariaband District Mineral Foundation Trust
4.	Mahasamund	Mahasamund District Mineral Foundation Trust
5.	Dhamtari	Dhamtari District Mineral Foundation Trust
6.	Durg	Durg District Mineral Foundation Trust
7.	Balod	Balod District Mineral Foundation Trust
8.	Bemetara	Bemetara District Mineral Foundation Trust
9.	Rajnandgaon	Rajnandgaon District Mineral Foundation Trust
10.	Kabirdham	Kabirdham District Mineral Foundation Trust
11.	Bastar	Bastar District Mineral Foundation Trust
12.	Kondagaon	Kondagaon District Mineral Foundation Trust
13.	Narayanpur	Narayanpur District Mineral Foundation Trust
14.	Kanker (Uttar Bastar)	Kanker (Uttar Bastar) District Mineral Foundation Trust
15.	Dantewada (Dakshin Bastar)	Dantewada (Dakshin Bastar) District Mineral Foundation Trust
16.	Sukma	Sukma District Mineral Foundation Trust
17.	Bijapur	Bijapur District Mineral Foundation Trust
18.	Bilaspur	Bilaspur District Mineral Foundation Trust
19.	Mungeli	Mungeli District Mineral Foundation Trust
20.	Korba	Korba District Mineral Foundation Trust
21.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa District Mineral Foundation Trust
22.	Raigarh	Raigarh District Mineral Foundation Trust
23.	Jashpur	Jashpur District Mineral Foundation Trust
24.	Surguja	Surguja District Mineral Foundation Trust
25.	Balrampur	Balrampur District Mineral Foundation Trust
26.	Surajpur	Surajpur District Mineral Foundation Trust
27.	Koriya	Koriya District Mineral Foundation Trust

2. As per rule 10 of the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, the following trustees are appointed in the District Mineral Foundation Trusts mentioned in column (3) of TABLE-I, namely :—

TABLE-II

S. No. (1)	Name of the Post/Details of the Trustee (2)	Designation in the trust (3)
1.	Collector of the concerned district	Ex officio Chairperson
2.	Three Public Representatives (Nominated by the Settlor)	Members
3.	Up to three Representatives from among the Mineral Concession Holders in the District (Nominated by the Collector)	Members

(1)	(2)	(3)
4.	Any two Sarpanchs of Gram Panchayats of directly affected areas (Nominated by the Collector)	Members
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex officio Member Secretary
6.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
7.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
8.	Deputy Director (Mineral Administration)/Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Panchayat	Ex Officio Member
10.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
11.	District Education Officer	Ex Officio Member
12.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
13.	Chief Medical and Health Officer	Ex Officio Member
14.	Deputy Director Agriculture	Ex Officio Member
15.	Deputy/Assistant Director Horticulture	Ex Officio Member
16.	Executive Engineer , Public Works Department	Ex Officio Member
17.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
18.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
19.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
20.	District Employment Officer	Ex Officio Member
21.	General Manager, District Trade and Industries Centre	Ex Officio Member

3. As per rule 2 (I) (I) read with rule 14 of the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, the following Managing Committee is constituted for the District Mineral Foundation Trusts mentioned in column (3) of TABLE-I, namely :—

TABLE-III

S. No. (1)	Name of the Post (2)	Designation in the Trust (3)
1.	Collector of the concerned District	Ex officio Chairperson
2.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex officio Member Secretary
3.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
4.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
5.	Deputy Director Panchayat	Ex Officio Member
6.	Chief Medical and Health Officer	Ex Officio Member
7.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
8.	Deputy Director (Mineral Administration)/Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Agriculture/Horticulture	Ex Officio Member
10.	Executive Engineer , Public Works Department	Ex Officio Member
11.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
12.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
13.	District Education Officer	Ex Officio Member
14.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
15.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
16.	District Employment Officer	Ex Officio Member
17.	General Manager, District Trade and Industries Centre	Ex Officio Member

4. This Notification shall be deemed to have come into force on 12-01-2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
EFFAT ARA, Deputy Secretary.